ग्राम पंचायत थानेधार, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/**2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत थानेधार, विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-**

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री हीरा लाल ठाकुर	23/01/2011 to 22/01/2016
2	श्री अमर सिंह नलवा	23/01/2016 to till date

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री महिंदर सिंह	09/2008 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत थानेधार के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर पाया जाना	0.62
2	7	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.77
3	8	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न करना	0.12
4	9	दिनांक 31.03.2016 तक अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	0.20

5	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	1.50
6	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	0.54
7	14	भुगतान दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में क्रय बिलों/वाऊचर इत्यादि उपलब्ध न करवाना	0.60

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत थानेधार, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2016 से 18.06.2016 के दौरान ग्राम पंचायत थानेदार के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	12/2013	02/2014
2014-15	09/2014	09/2014
2015-16	03/2016	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत थानेदार विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35/2016 दिनांक 18.06.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत थानेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत (Own Sources):- **ग्राम पंचायत थानेदार की अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्व स्त्रोत एवं** GIA (Other than MANREGA & Integrated Water Shed Project**) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) में भी दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि** MANREGA & Integrated Water Shed Project **के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और** Own Sources **की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही** MANREGA & Integrated Water Shed Project **के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को** Own Sources **की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में** Ledger Accounts **नहीं बनाए गए है।** Ledger Accounts **नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और** Own Sources **की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।**

Own Sources & Other GIA Recorded in General Cash Book

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	1061481.00	826583.00	75700.00	1963764.00	613128.00	1350636.00
2014-15	1350636.00	579257.00	52413.00	1982306.00	677932.00	1304374.00
2015-16	1304374.00	2033344.00	67902.00	3405620.00	1050249.00	2355371.00

(ख) अनुदान (Grant in Aid):- ग्राम पंचायत थानेदार की अवधि 4/2013 से 3/2016 की अनुदानों (MANGERA & Integrated Water Shed Project) **की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है:-**

Financial Position of MANERGA & Integrated Water Shed Project

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing balance
2013-14	16962.11	61564.00	435.00	78961.11	76954.00	2007.11
2014-15	2007.11	13795.00	424.00	16226.11	5935.00	10291.11
2015-16	10291.11	60000.00	562.00	70853.11	58497.00	12356.11

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance को सम्मलित किया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत थानेदार की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 **के नियम** 15(1) **के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत थानेदार द्वारा अवधि** 4/2013 **से** 3/2016 **के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में** ₹61848 **का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 33-34/2016 **दिनांक** 14.06.2016 **के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 **को अंतिम शेष** **(Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance सम्मलित किया गया है।)**	**2355371**

दिनांक 31.03.2016 को संबन्धित बैंक खातों का अंत शेष

Account No.44330406327 Of HPSCBank	1796493
Account No. 00013 of HPSCBank	100854
Account No. 4159 of HPSCBank	10434
Account No. 00030 of HPSCBank	235632
Account No. 20878 of PNB Bank	20047
Account No. 16794 of UCO Bank	12000
Account No.50100113253755 of HDFC	241759
Total	**2417219**
Difference	**61848**

(ग) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) **में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।**

7 पंचायत राजस्व की ₹ 0.77 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹0.77 लाख की वसूली शेष थी।

1 गृहकर:

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	9200	20800	30000	11600	18400
2014-15	18400	20800	39200	13840	25360
2015-16	25360	20800	46160	13840	32320

2 जल प्रभार

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2014-15	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2015-16	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

3. भवनों/दुकानों से किराया

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	Nil	67420	67420	50620	16800
2014-15	16800	67420	84220	75820	8400
2015-16	8400	74120	82520	63314	19206

4. मोबाईल टावर

वर्ष	अथ शेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	10000	14000	24000	4000	20000
2014-15	20000	14000	34000	4000	30000
2015-16	30000	14000	44000	18500	25500

अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान की ₹ 0.12 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट- 1(ग)) के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अनुदान की ₹12356.11 उपयोग हेतु शेष थी। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

9 अस्थाई अग्रिमों की ₹ 0.20 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था , लेकिन परिशिष्ट - 3 में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक की अस्थाई अग्रिम की ₹20000/- समायोजन हेतु शेष थी। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹ 1.50 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹150000.00 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 0.54 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹54143 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई विभिन्न मदों , जिनका विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विभिन्न क्रय बिलों/ वाऊचर इत्यादि को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित (verified) न किए जाने बारे

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान विभिन्न क्रय की गई सामग्री के भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि विभिन्न प्रकार के भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-5.2 में दिया गया है , को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 भुगतान की गई ₹ 0.60 लाख के सम्बन्ध में क्रय बिलों/ वाऊचर इत्यादि अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान विभिन्न भुगतानों की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रकार के भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट - 5.3 में दिया गया है , के सम्बन्ध में बिल/वाऊचर अभिलेख/रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। अत: इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 मस्टरोल के अंतर्गत ₹ 957 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में चयनित मासों के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित मस्टरोल की जाँच करने पर पाया गया कि मस्टरोल संख्या 21807 , जिसका पूर्ण विवरण निम्न

दिया गया है के सम्बन्ध में ₹957/- का अधिक भुगतान किया गया था। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Name of Work	Mustroll No.	Name of Month for which payment was made	Date of Payment	To whom payment was made	Amount Paid	Amount due	Excess payment
Repair of Road Loga Dadash Bhutti	21807	12/2014	05.02.2014	Sh.Asi Ram	5307	4350 (29Days @150)	957

16 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद पंचायत प्रधान द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताए

18.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों की राशि को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी । सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु तीन रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया , जिनका विवरण निम्न दिया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को 10 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MANGERGA	इस रोकड़ बही में MANGERGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत थानेदार द्वारा हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था, जैसे कि:-

(क) रोकड़ बहियों में लेखांकित आय व्यय को पंचायत प्रधान से सत्यापित (Verified**) नहीं करवाया गया था।**

(ख) मास के अंत में दर्शाये गए " Cash in hand" **के शेष को पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।**

(ग) वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand **के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था।**

अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18.2 खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers**) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

18.3 हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय-व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract **का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर** Classified Abstract **का निर्माण नहीं किया गया था।** Classified Abstract **का निर्माण न** किए **जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार** Classified Abstract **का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

18.4 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 **के नियम** 93(**ए**)(1) **के अंतर्गत अनुभागी समिति (**Participatory Committee) **बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि** 4/2013 **से** 3/2016 **के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत थानेदार द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:** 93(**ए**)(1) **के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।**

18.5 अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार आयकर, बिक्री कर,लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

18.6 अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए , साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

18.7 ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत थानेदार द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किए जाए।

19 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 5/2016–खण्ड–1–5025–5028 दिनाँकः17.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत थानाधार, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.